

धर्मेन्द्र कुमार @ धम्मा

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

(आपराधिक अपील क्रमांक 2806/2024)

08 जुलाई 2024

(न्यायमूर्ति श्री सूर्य कांत एवं न्यायमूर्ति श्री के. वी. विश्वनाथन)

विचारणीय बिंदु

क्या उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता की धारा 302/34 भा.दं.सं के तहत दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखना न्यायोचित है; क्या विरोधाभास या विसंगतियां और बरामद हथियार पर रक्त समूह वर्गीकरण की अनुपस्थिति या अनिर्णायक एफएसएल परिणाम अभियोजन के मामले के लिए हानिकारक है; क्या अन्वेषण अधिकारी द्वारा चिकित्सा अधिकारी से स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त करने में विफलता मृतक के मृत्यु से पहले धारा 161 'दं.प्र.सं' के तहत दर्ज किए गए कथन को 'मृत्युपूर्व कथन' के रूप में विचार करने को अमान्य कर देती है; और क्या अपीलकर्ता द्वारा किया गया प्रकटीकरण कथन जिसके कारण चाकू की खोज और बाद में जब्ती, साक्ष्य में स्वीकार्य है।

शीर्ष टिप्पणियाँ *

दंड संहिता, 1860 - धारा 302/34 - दोषसिद्धि एवं दंड अंतर्गत-तथ्यों पर, दीवार निर्माण पर विवाद-शिकायतकर्ता को मौखिक रूप से गालियां दी गई-दीवार का निर्माण कर रहे दो व्यक्तियों पर विपक्षी पक्ष ने शारीरिक हमला किया, अपीलकर्ता ने एक व्यक्ति पर चाकू से हमला किया और बाद में दोनों की चोटों के कारण मृत्यु हो गई-अपीलकर्ता को धारा 302, 147, 148 और 149 के तहत दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास के दंड से दण्डित किया गया-अपीलकर्ता को धारा 302, 147, 148 और 149 के तहत दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास के दंड से दण्डित किया गया-उच्च न्यायालय ने धारा 302/34 के तहत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को बरकरार रखा, हालांकि, धारा 147 और 148 के तहत उसे दोषमुक्त कर दिया-यथार्थता :

अभिनिर्धारित: अभियोजन के मामले में कोई विरोधाभास या विसंगति नहीं है जो निचले न्यायालयों से भिन्न दृष्टिकोण अपनाने के लिए बाध्य करे - जब प्रत्यक्षदर्शियों की परिसाक्ष्य सुसंगत, निर्विवाद है और चिकित्सीय साक्ष्य या उपयोग किए गए हथियार जैसी अभियोगात्मक सामग्री की बरामदगी द्वारा उसकी विधिवत पुष्टि की जाती है, तो केवल प्र.सूरि दर्ज करने में कोई कमी, यदि कोई हो, दोषसिद्धि को पलटने या अभियोजन के मामले को कमजोर करने का वैध आधार नहीं बनती है। शिकायतकर्ता को प्र.सूरि. की अंतर्वस्तु पढ़कर न सुनाया जाना अभियोजन के मामले को प्रभावित नहीं करेगा-घटनास्थल पर अपीलकर्ता की उपस्थिति स्थापित हुई -अपीलकर्ता द्वारा किया गया प्रकटीकरण कथन जिसके कारण चाकू की खोज और जब्ती हुई, साक्ष्य में स्वीकार्य है- चाकू से कारित चोट के लिए अपीलकर्ता को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है- बरामद हथियार पर रक्त समूह वर्गीकरण की अनुपस्थिति या अनिर्णायक एफएसएल परिणाम अभियोजन पक्ष के मामले को

प्रभावित नहीं करेगा- इसके अलावा, केवल चिकित्सा स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त न होने से यह न्यायालय धारा 161 दं.प्र.सं के तहत उचित रूप से दर्ज किए गए बयान को मृत्युपूर्व बयान मानने से नहीं रुकेगा -इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा गया – साक्ष्य। [कंडिका 44, 51, 58, 61, 69, 70]

साक्ष्य - अभियोजन के मामले में विरोधाभास-अन्वेषण अधिकारी की ओर से नज़री नक्शा पर किसी स्थान को चिह्नित करने में चूक- प्रभाव:

अभिनिर्धारित: अन्वेषण अधिकारी की ओर से नज़री नक्शा पर किसी स्थान को चिह्नित करने में चूक मात्र से अभियोजन का मामला प्रभावित नहीं होता- नज़री नक्शा केवल घटना के स्थान को दर्शाता है, और इसमें कोई और विवरण नहीं दिया गया है- इस तथ्य के अलोक में कि जिन व्यक्तियों ने वह देखा था जिसके सम्बन्ध में उन्होंने परिसाक्ष्य दिया है, उनके प्रत्यक्ष कथन को उचित महत्व दिया जाना चाहिए- उनके साक्ष्य को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि अन्वेषण अधिकारी मौका नक्शा पर कमरे का वर्णन करना भूल गए- यह ऐसा मामला है जिसमें प्रत्यक्षदर्शियों ने एक-दूसरे की पुष्टि की है; स्वयं मृतक ने धारा 161 दं.प्र.सं के तहत अभिलेखित अपने कथन में उनके कथनों को पुष्ट किया है, और घटना का स्थान मौका नक्शा (प्र.पी.2) पर 'ईंटों के कमरे' के रूप में दर्शाया गया है- इस प्रकार, यह स्थापित हो जाता है कि एक और झुगगी थी जहाँ मृतक ने शरण ली थी और अंततः उस पर हमला किया गया था- तथाकथित विरोधाभास अपराध के मुख्य भाग (corpus delicti) पर आक्रमण करने में बुरी तरह विफल हो जाता है। [कंडिका 33, 34]

प्रथम सूचना रिपोर्ट – शिकायतकर्ता को प्र.सू.रि. की विषय-वस्तु पढ़कर सुनाया ना जाना – प्रभाव:

अभिनिर्धारित: विषयगत प्र.सू.रि. (प्र.पी.7) धारा 154 दं.प्र.सं के सभी अवयवों को पूरी तरह संतुष्ट करती है- प्रतिपरीक्षण के दौरान, शिकायतकर्ता- सूचनाकर्ता ने दावा किया कि पुलिस ने न तो उन्हें प्र.सू.रि. (प्र.पी.7) पढ़कर सुनाई और न ही उनके कथनों की अंतर्वस्तु का उल्लेख किया, जो पुलिस ने दर्ज किए थे- इसे सही मानते हुए, इस तरह की चूक से अपीलकर्ता पर कोई प्रतिकूलता कारित नहीं हुई- ऐसा मामला नहीं है जिसमें अपीलकर्ता को प्र.सू.रि. या आरोप पत्र की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई, जिससे सूचनाकर्ता का प्रभावी रूप से प्रतिपरीक्षण करने में उसकी क्षमता बाधित हो सकती थी- इसके अलावा ऐसा कोई सुझाव नहीं है कि वह घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था; कि उसने घटना में भाग नहीं लिया था, या कि उसे किसी भी कारण से झूठा फंसाया गया था। इस प्रकार, अपीलकर्ता प्र.सू.रि. की अंतर्वस्तु को सूचनाकर्ता को कथित रूप से पढ़कर न सुनाये जाने के परिणामस्वरूप उत्पन्न किसी भी पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करने में विफल रहा है- सूचना अभिलेखित करने के पश्चात पढ़कर सुनाना और उक्त सूचना पर सूचनाकर्ता द्वारा हस्ताक्षर करने एवं उसके सार को विहित रीति से दर्ज करने की उल्लिखित शर्तें बाध्यकर नहीं हैं परन्तु प्रक्रियात्मक प्रकृति की हैं और इनमें से किसी का भी लोप उक्त धारा के तहत प्रदान की गई जानकारी से उत्पन्न होने वाले कानूनी परिणामों को प्रभावित नहीं करती है- इसके अतिरिक्त जब प्रत्यक्षदर्शियों की परिसाक्ष्य सुसंगत, निर्विवाद और चिकित्सीय साक्ष्य या उपयोग किए गए हथियार जैसी अभियोगात्मक सामग्री की बरामदगी द्वारा विधिवत पुष्टि की जाती है, तो केवल प्र.सू.रि दर्ज करने में कोई कमी,

यदि कोई हो, दोषसिद्धि को पलटने या अभियोजन के मामले को कमजोर करने का वैध आधार नहीं बनती है। [कंडिका 40-44]

साक्ष्य - घटनास्थल पर अपीलकर्ता की उपस्थिति, यदि संदिग्ध हो:

अभिनिर्धारित: इस पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है कि अपीलकर्ता न केवल अपराध स्थल पर मौजूद था, बल्कि उसने घटना में सक्रिय रूप से भाग भी लिया और टिल्लू (मृतक) पर एक घातक वार भी किया-घटनास्थल पर अंधेरा होने के कारण दृश्यता कम होने का दावा स्वीकार्य नहीं है- घटनास्थल शिकायतकर्ता के घटनास्थल से सटा हुआ था, जिससे साक्षियों के लिए आरोपी व्यक्तियों को देखना और पहचानना आसान हो गया- प्रत्येक अभियुक्त, विशेष रूप से अपीलकर्ता, प्रत्यक्षदर्शियों से परिचित था- यह देखते हुए कि यह घटना गर्मियों की रात में हुई थी, साक्षियों की दृश्यता में न्यूनतम बाधा रही होगी- अपीलकर्ता ने अपने 313 दं.प्र.सं के बयान में, कहीं भी अन्यत्र उपस्थिति का तर्क नहीं दिया और साक्षियों के प्रतिपरीक्षण के दौरान भी यह बचाव नहीं लिया, साथ ही इसके समर्थन में कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया- इसके अलावा, ऐसा कोई मामला नहीं है जहां शिकायतकर्ता या अभियोजन साक्षी ने अपीलकर्ता के विरुद्ध द्वेष रखा हो और घटना के पश्चात उसे फंसाने के लिए कोई कहानी गढ़ी हो- बल्कि, अपीलकर्ता का नाम घटना के दो घंटे से भी कम समय के भीतर विधिवत दर्ज किए गए पहले संस्करण में सामने आया- साथ ही अपीलकर्ता को झूठा फंसाने का कोई हेतुक भी नहीं दर्शाया गया।[कंडिका 48, 49, 51]

साक्ष्य- अपीलकर्ता द्वारा प्रकटीकरण कथन जिसके परिणामस्वरूप अपराध के चाकू-हथियार की खोज और जब्ती हुई - साक्ष्य में स्वीकार्यता - चाकू से आयी चोट के लिए यदि अपीलकर्ता को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है:

अभिनिर्धारित: अपीलकर्ता का प्रकटीकरण कथन, चाकू की बरामदगी के सीमा तक साक्ष्य में सही स्वीकार्य किया गया- अभियोजन की कहानी को निचले न्यायालयों ने स्वीकार किया- इस बात को अनदेखा नहीं किया जा सकता कि दोनों प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, निरक्षर मजदूर हैं, और उनके परिसाक्ष्य घटना के काफी समय बीत जाने के बाद अभिलेखित किये गए थे- दोनों साक्षियों ने इस बात से स्पष्ट रूप से इनकार किया है कि उन्हें पुलिस या किसी और ने सिखाया पढ़ाया था। एक ग्रामीण साक्षी की अनफ़िल्टर्ड साक्ष्य, भले ही उसमें कुछ छोटी-मोटी असंगतियां या विसंगतियाँ हों, उसकी दृढ़ता को कम नहीं कर सकती। ऐसे साक्षियों के साक्ष्य का व्यापक और सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाना चाहिए, विशेषकर जब प्रतिपरीक्षण से यह पता चलता है कि आरोपी (गण) ने कुछ बाहरी दबाव डालकर उन्हें जीतने का प्रयास किया गया था। इस प्रकार, अभियोजन साक्षी के कथनों में ऐसी कोई विसंगति नहीं है कि उन्हें खारिज कर दिया जाए। यहाँ तक कि अन्वेषण अधिकारी की साक्ष्य में भी कोई गुप्त उद्देश्य या साक्ष्य गढ़ने या अपीलकर्ता और उसके सह-आरोपी को झूठा फंसाने का प्रयास नहीं है- यह अपेक्षा करना अत्यधिक अक्रजु और अनुचित होगा कि साक्षी, जब तक कि उसे तोते की तरह रटाया न जाए, घटना के हर छोटे-छोटे विवरण को याद रखे और उसे पूरे विवरण के साथ प्रस्तुत करे। इस प्रकार अपीलकर्ता का तर्क कि चाकू की चोट उसके द्वारा कारित नहीं की गयी किसी भी गुणागुण से रहित है। [कंडिका 56-58]

साक्ष्य- रक्त समूह वर्गीकरण का अभाव- बरामद हथियार पर अनिर्णायक एफएसएल परिणाम- अभियोजन पक्ष के मामले पर प्रभाव:

अभिनिर्धारित: एफएसएल रिपोर्ट की गहन जांच करने पर, यह पुष्टि हुई कि बरामद चाकू पर किए गए रक्त समूह वर्गीकरण परीक्षण से अनिर्णायक परिणाम मिले हैं - हालांकि, अपीलकर्ता के कहने पर बरामद चाकू पर मानव रक्त पाया गया था- लाठी और यहां तक कि आरोपी के चाकू सहित विभिन्न हथियारों की एफएसएल जांच की गई, फिर भी, उन पर मानव रक्त के कोई निशान नहीं पाए गए- विशेष रूप से, मानव रक्त केवल अपीलकर्ता द्वारा उपयोग किए गए चाकू पर पाया गया था- इसके अलावा, अपराध के हथियार पर मानव रक्त का स्पष्टीकरण न देना आरोपी के विरुद्ध एक परिस्थिति बनाता है- हथियार पर मानव रक्त की उपस्थिति के बारे में स्पष्टीकरण देना आरोपी का कर्तव्य है- अपीलकर्ता ऐसा करने में विफल रहा- हालांकि यह अपराध का निर्धारण करने के लिए निर्णायक कारक नहीं हो सकता है, लेकिन एक स्पष्ट मौन अभियोजन पक्ष के मामले को समर्थन देता है। [कंडिका 61]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973- धारा 161 - मृतक द्वारा पुलिस अधिकारी को धारा 161 के अंतर्गत मृत्यु के कारण के संबंध में दिया गया बयान - मृत्युपूर्व कथन के रूप में स्वीकार्यता:

अभिनिर्धारित: धारा 161 पुलिस को किसी भी ऐसे व्यक्ति का मौखिक परीक्षण करने का अधिकार देती है जो अन्वेषण के तहत मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित हो- पुलिस ऐसे बयान को लिखित रूप में भी दर्ज कर सकती है। धारा 162 (1) दं.प्र.सं, तब भी, यह अनिवार्य करती है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारी को दिया गया कोई भी बयान, यदि लिखित रूप में दिया जाता है, तो उसे देने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाना चाहिए, न ही ऐसे बयान का साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जाएगा, सिवाय इसके कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 द्वारा प्रदान की गयी रीति से साक्षी का खंडन किया जाए- हालाँकि, धारा 162 दं.प्र.सं की उप-धारा (2) उसकी उप-धारा (1) के लिए एक अपवाद बनाती है कि धारा 162 में कुछ भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के खंड (1) के दायरे में आने वाले किसी भी बयान पर लागू नहीं माना जाएगा- किसी मृत व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारी को अपनी मृत्यु के कारण या उस संव्यवहार की परिस्थितियों के सम्बन्ध में दिया गया बयान, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई, और जिसे धारा 161 दं.प्र.सं के तहत दर्ज किया गया है, उसमें निहित साक्ष्य में ऐसे बयान के उपयोग पर स्पष्ट प्रतिबंध के बावजूद प्रासंगिक और स्वीकार्य होगा- ऐसी स्थिति में, धारा 161 दं.प्र.सं के तहत दर्ज किया गया बयान मृत्युपूर्व कथन का स्वरूप ग्रहण कर लेता है- चूंकि इस तरह के मृत्युपूर्व कथन को असाधारण विश्वसनीयता दी गई है, इसलिए न्यायालय को उसका अवलंब लेने में अत्यंत सावधान और सतर्क रहना चाहिए।[कंडिका 64]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 161 - मृतक में से किसी एक के मृत्यु से पहले धारा 161 के तहत दर्ज किए गए बयान पर मृत्युपूर्व कथन के रूप में विचार करना - अन्वेषण अधिकारी द्वारा चिकित्सा अधिकारी से चिकित्सा स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना -प्रभाव:

अभिनिर्धारित: मृत्युपूर्व कथन करने वाले व्यक्ति की मानसिक स्वस्थता के आकलन के संबंध में, यह निस्संदेह न्यायालय की जिम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि घोषणाकर्ता मानसिक रूप से स्वस्थ था। ऐसा इसलिए है क्योंकि मृत्युपूर्व कथन दर्ज करने के लिए कोई कठोर प्रक्रिया अनिवार्य नहीं है। यदि कोई प्रत्यक्षदर्शी यह दावा करता है कि मृतक होश में था और मृत्युकालिक कथन करने में सक्षम था, तो चिकित्सा राय ऐसी पुष्टि को रद्द नहीं कर सकती है, न ही केवल

चिकित्सक के स्वस्थता प्रमाणन के अभाव में मृत्युपूर्व कथन को अनदेखा किया जा सकता है। घोषणाकर्ता की मानसिक स्वस्थता के प्रमाणन के बाद चिकित्सक की उपस्थिति में मृत्युपूर्व कथन दर्ज करने की आवश्यकता केवल विवेक का मामला है- तथ्यों के आधार पर, अन्वेषण अधिकारी ने घटना के एक दिन बाद तुरंत बयान दर्ज किया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि मेडिकल रिपोर्ट में यह उल्लेख नहीं किया गया था कि घोषणाकर्ता की हालत गंभीर प्रकृति की थी- बयान के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि घोषणाकर्ता स्वस्थ स्थिति में था क्योंकि उसने न केवल घटना के बारे में ठीक से बताया बल्कि अपीलकर्ता की भूमिका को भी स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया है- इसके अलावा, चिकित्सक द्वारा किए गए शव परीक्षण के दौरान पाई गई चोटों ने मृतक के बयान की विधिवत पुष्टि की है- केवल चिकित्सा स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त न होने से यह न्यायालय धारा 161 दं.प्र.सं के तहत उचित रूप से दर्ज किए गए बयान को मृत्युपूर्व बयान मानने से नहीं रुकेगा। [कंडिका 70]

प्रथम सूचना रिपोर्ट- उद्देश्य:

अभिनिर्धारित: प्र.सू.रि. कोई ठोस सबूत नहीं है और इसका उपयोग केवल सूचनाकर्ता के कथन की पुष्टि या खंडन करने के लिए किया जा सकता है। यह भी आवश्यक नहीं है कि प्र.सू.रि. दर्ज करने के लिए लिखित शिकायत ही हो। यहां तक कि पुलिस को संज्ञेय अपराध कारित होने के बारे में मौखिक रूप से सूचना देना भी प्र.सू.रि. दर्ज करने के लिए पर्याप्त है- प्र.सू.रि. का उद्देश्य है क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट और पुलिस प्रशासन को उस अपराध के बारे में सूचित करना जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाने में की गई है; न्यायिक अधिकारी को, जिसके समक्ष अंत में विचारण किया जाता है, इस बात से परिचित कराना कि घटना के तुरंत बाद वास्तविक तथ्य क्या बताए गए थे और किन सामग्रियों के आधार पर अन्वेषण प्रारम्भ किया गया था; और सबसे महत्वपूर्ण, अभियुक्त को बाद में होने वाले बदलावों, अतिशयोक्ति या परिवर्धन से बचाना। [कंडिका 38, 39]

उद्धृत न्यायदृष्टान्त

शिवन्ना बनाम हुन्सुर टाउन पुलिस राज्य [2010] 10 एससीआर 410 : (2010) 15 एससीसी 91; राज्य बनाम एन.एस. ज्ञानेश्वरन (2013) 3 एससीसी 594; राज्य (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) बनाम नवजोत संधू [2005] अनुपूरक 2 एससीआर 79 : (2005) 11 एससीसी 600; हीरा बनाम राजस्थान राज्य [2007] 7 एससीआर 1065 (2007) : 10 एससीसी 175; नथुनी यादव बनाम बिहार राज्य [1996] अनुपूरक 10 एससीआर 905 : (1998) 9 एससीसी 238; पुलुकुरी कोट्टाया बनाम सम्राट (1946) एससीसी ऑनलाइन पीसी 47; राजा @ राजिंदर बनाम हरियाणा राज्य [2015] 3 एससीआर 947: (2015) 11 एससीसी 43; जॉन पांडियन बनाम राज्य [2010] 15 एससीआर 1012: (2010) 14 एससीसी 129; मुकेशभाई गोपालभाई बरोट बनाम गुजरात राज्य [2010] 9 एससीआर 632: (2010) 12 एससीसी 224; श्री भगवान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [2012] 12 एससीआर 774: (2013) 12 एससीसी 137; प्रदीप बिसोई बनाम ओडिशा राज्य [2018] 12 एससीआर 947: (2019) 11 एससीसी 500; कोली चुन्नीलाल सावजी बनाम गुजरात राज्य [1999] सप. 3 एससीआर 284: (1999) 9 एससीसी 562; लक्ष्मण बनाम महाराष्ट्र राज्य [2002] अनुपूरक 1 एससीआर 697: (2002) 6 एससीसी 710 - संदर्भित

अधिनियमों की सूची

दंड संहिता, 1860; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; साक्ष्य अधिनियम, 1872

कीवर्ड की सूची

विरोधाभास या विसंगतियां; रक्त समूह वर्गीकरण का अभाव; अनिर्णायक एफएसएल; चिकित्सीय स्वस्थता प्रमाण पत्र; मृत्यु से पूर्व दं.प्र.सं. की धारा 161 के तहत दर्ज किया गया घोषणाकर्ता का कथन; मृत्युपूर्व कथन; प्रकटीकरण कथन; साक्ष्य में स्वीकार्य; प्रत्यक्षदर्शियों की परिसाक्ष्य; प्रथम सूचना रिपोर्ट; अन्यत्र उपस्थिति की दलील; साबित करने का दायित्व; पहचान परीक्षण।

किससे उद्भूत मामला

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील क्रमांक 2806/ 2024 में म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर के मुख्य पीठ के दिनांक 19.12.2017 के निर्णय एवं आदेश से

पक्षकारों की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण

दुष्यन्त दवे, वरिष्ठ अधिवक्ता, कुलदीप सिंह, श्रीमती आयुषी गौर, गौरव यादव अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी।

सुश्री मृणाल गोपाल एल्कर, सौरभ सिंह, आशीष रावत, अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थीगण।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

न्यायमूर्ति श्री सूर्य कांत

अनुमति दी गयी।

- यह अपील मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर (एतस्मिनपश्चात, 'उच्च न्यायालय') द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.12.2017 के विरुद्ध निर्देशित है, जिसमें अपीलकर्ता द्वारा विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, भोपाल (एतस्मिनपश्चात, 'विचारण न्यायालय') के निर्णय और आदेश दिनांक 10.11.2005 के द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 (एतस्मिनपश्चात, 'भा.दं.सं') की धारा 302 सपठित धारा 34 के अंतर्गत उसके विरुद्ध पारित दोषसिद्धि और दंड के विरुद्ध प्रस्तुत आपराधिक अपील को खारिज कर दिया गया था।

तथ्य:

- इस मोड़ पर, वर्तमान कार्यवाही के संदर्भ को निर्धारित करने के लिए तथ्यात्मक सांचे की गहराई में जाना आवश्यक है।
- उषा बाई (अ.सा.10) के कथन पर पुलिस थाना कमला नगर, भोपाल में भा.दं.सं की धारा 307, 147, 148 और 149 के तहत प्र.सू.रि. क्रमांक 268 दिनांक 20.06.2004 दर्ज की गयी थी। उक्त शिकायतकर्ता ने कहा कि 20.06.2004 की रात को लगभग 9:30 बजे वह देवी सिंह उर्फ टिल्लू और तुलाराम द्वारा अपनी झुग्गी (झोपड़ी) की दीवार के निर्माण की देखरेख कर रही थी। उस समय, आरोपीगण अहमद और उसकी पत्नी कनीजा बी पहुंचे और निर्माण पर आपत्ति जताई। टिल्लू ने दावा किया कि यह उनकी झुग्गी है और उन्हें दीवार बनाने का अधिकार है। इस बीच, विजय, धर्मेन्द्र उर्फ धम्मा (अपीलकर्ता), कच्चू उर्फ रामस्वरूप, बल्लू, रवि और असगर सहित अन्य आरोपीगण पहुंचे और शिकायतकर्ता, टिल्लू और तुलाराम को मौखिक रूप से गाली देना शुरू कर दिया। स्थिति तब और बिगड़ गई जब अपीलकर्ता सहित सभी आरोपी टिल्लू पर शारीरिक हमला करने के लिए दौड़े। बचाव में, टिल्लू ने भैरव शास्त्री

नामक व्यक्ति की खाली झुग्गी में शरण ली और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। हालांकि, आरोपी जबरन दरवाजा तोड़कर भैरव शास्त्री की झुग्गी में घुस गए। अंदर घुसते ही उन्होंने टिल्लू को घेर लिया, जिसमें अपीलकर्ता ने टिल्लू के पेट में चाकू से वार किया, जबकि असगर ने उसके पेट के थोड़ा नीचे एक और वार किया। इसके बाद, अन्य अभियुक्तगण ने भी टिल्लू पर मुक्कों और डंडों से हमला किया। इस बीच, तुलाराम ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन उसे भी कच्छू और अहमद ने मारपीट की, जिससे उसके सिर और हाथ में चोट आ गयी। शोर सुनकर, मोहल्ले के निवासी मौके पर पहुंचे, जिससे आरोपीगण भाग गए। शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि उसने बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन उसे धमकी दी गई कि अगर वह क्षेत्र नहीं छोड़ेगी तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

5. घटना के बाद, टिल्लू और तुलाराम दोनों घायलों को चिकित्सा सहायता के लिए काटजू अस्पताल ले जाया गया। आपातकालीन चिकित्सा अधिकारी डॉ. आर.एस. विजयवर्गीय (अ.सा.4) ने टिल्लू की नाड़ी की अनुपस्थिति, साथ ही उसके सीने में दो और पेट में तीन चाकू के घाव देखे, जो उसकी गंभीर हालत का संकेत दे रहा था। तुलाराम की जांच करने पर डॉ. विजयवर्गीय ने उसके सिर के पिछले हिस्से और टेम्पोरल हिस्से में गंभीर चोटें देखीं। इसके बाद, दोनों घायलों को आगे के इलाज के लिए हमीदिया अस्पताल रेफर कर दिया गया।
6. दुर्भाग्यवश टिल्लू की मृत्यु हो गई और उसे मृत घोषित कर दिया गया, जबकि तुलाराम अभी जीवित था और उसे हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया।
7. डॉ.सी.एस. जैन (अ.सा.13) ने टिल्लू का शवपरीक्षण किया, जिसमें पाया गया कि मृत्यु का कारण शरीर पर कई बार चाकू से किए गए वार और सिर पर लगी चोटों के कारण हुआ शॉक और रक्तस्राव था। घाव किसी धारदार, भेदने वाले हथियार से किए गए थे, जिससे घोंपने के घाव कारित हुए, जबकि सिर पर किसी ठोस और बोथरी वस्तु से चोटें आई थीं। सिर और पेट पर लगी संयुक्त चोटें मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त मानी गयी।
8. अन्वेषण अधिकारी, गिरीश बोहरे (अ.सा.14) ने घटनास्थल का नक्शा (प्र.पी.2) तैयार कर जांच शुरू की और घटनास्थल से फर्श के खून से सने टुकड़े (प्र.पी.31) भी जब्त किए।
9. चूंकि तुलाराम जीवित था, यद्यपि गंभीर रूप से घायल था, इसलिए जांच अधिकारी (अ.सा.14) ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (**इसके बाद, 'दं.प्र.सं'**) की धारा 161 के तहत उसका कथन (प्र.पी.40) अभिलेखित किया, जिसमें तुलाराम ने विषयांकित घटना के दौरान की घटनाओं का ब्यौरा दिया। तुलाराम ने उल्लेख किया कि वह और टिल्लू नवग्रह मंदिर में उषा बाई की झुग्गी की दीवार बना रहे थे। रात्रि करीब 9:15 बजे अहमद और उसकी पत्नी कनीजा बी वहां पहुंचे और निर्माण का विरोध किया। टिल्लू के इस दावे के बावजूद कि यह उनकी दीवार है, अहमद ने उन्हें रोकने का प्रयास जारी रखा। कुछ ही देर बाद विजय, धर्मेन्द्र उर्फ धम्मा (अपीलकर्ता), कच्छू उर्फ रामस्वरूप, बल्लू, रवि और असगर वहां पहुंचे और गाली-गलौज शुरू कर दी। इसके बाद आरोपियों ने टिल्लू पर हमला किया, जिसने भैरव शास्त्री की झुग्गी में शरण ली और खुद को अंदर बंद कर लिया। हमलावर जबरन अंदर घुसे और टिल्लू को घेर लिया, धम्मा (अपीलकर्ता) ने टिल्लू के पेट पर चाकू से वार किया, जबकि असगर ने

भी उसकी नाभि के पास चाकू घोंपा। इसके अलावा, अन्य आरोपियों ने लाठी, डंडों और मुक्कों का इस्तेमाल करते हुए मारपीट की। जब तुलाराम ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो कच्चू और अहमद ने उसे लाठी से मारा, जिससे उसके सिर, हाथ और शरीर पर चोटें आईं। तुलाराम ने बताया कि लल्लू (अ.सा.11) और रमेश नामक व्यक्ति घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी थे।

10. तुलाराम की भी हमीदिया अस्पताल में शल्य चिकित्सा के करीब पांच दिन बाद मृत्यु हो गई। डॉ. नीलम श्रीवास्तव (अ.सा.15) ने उसका शवपरीक्षण किया और निष्कर्ष निकाला कि मृत्यु का कारण सिर में चोट आने से हृदय श्वसन विफलता थी। इसके अलावा, चोट की गंभीरता ऐसी थी कि सामान्य परिस्थितियों में भी इससे मृत्यु हो सकती थी। यह चोट, जिसे हत्यात्मक माना जाता है, किसी ठोस, बोथरी और भारी वस्तु से पहुंचाई गयी थी।
11. अन्वेषण के दौरान, अन्वेषण अधिकारी (अ.सा.14) ने अपीलकर्ता द्वारा दिए गए प्रकटीकरण कथन (प्र.पी.14) के बाद, एक चाकू बरामद किया, जिसे अपीलकर्ता ने पुलिस लाइन नेहरू नगर के बैरक नंबर 2 में छुपाया था। लल्लू विश्वकर्मा (अ.सा.11) इस बरामदगी का साक्षी था। तत्पश्चात चाकू को फॉरेंसिक जांच (प्र.पी.39) के लिए प्रस्तुत किया गया, जहां चाकू पर मानव रक्त पाया गया, परन्तु रक्त समूह वर्गीकरण अनिर्णायक था।
12. अन्वेषण के पश्चात् अपीलकर्ता सहित सभी आरोपियों पर भा.दं.सं की धारा 147, 148, 302/149, 307/149 के तहत आरोप लगाए गए।
13. विचारण में अभियोजन ने दोष सिद्ध करने के लिए 15 साक्षियों का परीक्षण किया, जिनमें उषा बाई, अ.सा.10 (शिकायतकर्ता) और लल्लू विश्वकर्मा, अ.सा.11, दोनों प्रत्यक्षदर्शी शामिल हैं। अभियोजन का मामला मुख्य रूप से इन दो प्रत्यक्षदर्शियों के कथनों पर आधारित है, जिन्होंने दावा किया कि पीड़ितों पर उनके सामने जानलेवा वार किए गए थे।
14. विचारण न्यायालय ने दो प्रत्यक्षदर्शियों (अ.सा.10 और अ.सा.11) के कथनों को विश्वसनीय पाया, जिसकी सम्पुष्टि जांच अधिकारी (अ.सा.14) के परिसाक्ष्य, मेडिकल साक्ष्य और हथियार की बरामदगी से हुई, और अपीलकर्ता को भा.दं.सं की धारा 302, 147, 148 और 149 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास भोगने के दंड से दण्डित किया।
15. उच्च न्यायालय ने, आक्षेपित निर्णय द्वारा, अपीलकर्ता की धारा 302 सपठित धारा 34 के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखा, हालांकि उसे धारा 147 और 148 के तहत दोषमुक्त कर दिया है। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि: (i) लल्लू विश्वकर्मा (अ.सा.11) के परिसाक्ष्य के माध्यम से अपीलकर्ता की उपस्थिति स्थापित हुई, और उसके प्रतिपरीक्षण से आगे इस बात की पुष्टि होती है कि अपीलकर्ता को मिथ्या रूप से दोषी ठहराने का कोई हेतु नहीं था; (ii) प्रत्यक्षदर्शी उषा बाई (अ.सा.10) और लल्लू विश्वकर्मा (अ.सा.11) द्वारा अपीलकर्ता के विरुद्ध विस्तृत रूप से वर्णित किये गए आरोप, डॉ. सी.एस. जैन (अ.सा.13) और डॉ. नीलम श्रीवास्तव (अ.सा.15) की चिकित्सीय राय द्वारा विधिवत सम्पुष्ट हुए; (iii) मृतक तुलाराम द्वारा दिया गया कथन, जो कि अ.सा.14 द्वारा दर्ज किया गया है, दोषसिद्धि के लिए अवलम्बित अन्य साक्ष्यों के साथ मेल खाता है; (iv) हथियार (चाकू) अपीलकर्ता के

प्रकटीकरण कथन के आधार पर जब्त किया गया था, जिससे भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (एतस्मिनपश्चात्, 'भा.सा.अधि.') की धारा 27 के तहत बरामदगी स्वीकार्य हो गई; और (v) अन्वेषण अधिकारी, अ.सा.14 की परिसाक्ष्य ने भी हथियार की जब्ती की सम्पुष्टि की।

16. अपनी दोषसिद्धि से असंतुष्ट होकर अपीलकर्ता ने हमारे समक्ष अपील प्रस्तुत की है।

पक्षकारों के तर्क:

17. अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दुष्यंत दवे ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने धारा 302/34 भा.दं.सं के तहत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को बरकरार रखने में गलती की है। इसे पुष्ट करते हुए उन्होंने निम्नलिखित दलीलें प्रस्तुत की:

- अभियोजन पक्ष के मामले में अंतर्निहित विरोधाभास थे। एक ओर, अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अवलम्बित दो प्रत्यक्षदर्शियों (अ.सा.10 और अ.सा.11) ने परिसाक्ष्य दिया कि पूरी घटना भैरव शास्त्री की झुग्गी के अंदर हुई, जो शिकायतकर्ता (अ.सा.10) की झुग्गी के पास स्थित है। दूसरी ओर, अन्वेषण अधिकारी (अ.सा.14) ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान कहा कि अ.सा.10 की झुग्गी के पास कोई झगड़ा नहीं हुआ था, और घटनास्थल के पास कोई 'भैरव बाबा मंदिर' या आवास नहीं था। यह तर्क दिया गया कि चूंकि घटना झुग्गी के अंदर हुई थी, इसलिए यह अविश्वसनीय है कि प्रत्यक्षदर्शियों ने इसे देखा हो।
- यह तर्क दिया गया कि घटनास्थल पर अपीलकर्ता की उपस्थिति पूरी तरह विवादित है और इस तरह का अनुमान शिकायतकर्ता के स्वयं के कथन से ही लगाया जा सकता है। घटना रात्रि करीब 9:30 बजे हुई, जिससे साक्षियों के लिए दृश्यता संबंधी चुनौतियां उत्पन्न हो गईं। उषा बाई (शिकायतकर्ता, अ.सा.10) ने गवाही दी है कि वह आरोपी अहमद, असगर अली, रवि और कनीजा बी को जानती थी, लेकिन अन्य आरोपियों को वह केवल नाम से जानती थी। इससे साफ पता चलता है कि अ.सा.10 अपीलकर्ता से परिचित नहीं थी। प्रत्यक्षदर्शी के बयान को छोड़कर, यह सुझाव देने के लिए कोई अन्य विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है कि अपीलकर्ता घटना में उपस्थित था या उसने इसमें भाग लिया था।
- इसके अलावा, चाकू से आयी चोट को अपीलकर्ता के कारण नहीं माना जा सकता, जैसा कि लल्लू विश्वकर्मा (अ.सा.11) ने परिसाक्ष्य दिया, जिसने स्पष्ट रूप से कहा कि वह यह नहीं समझ सका कि किसने किस पर हमला किया।
- इसके अलावा, यह भी कहा गया कि अपीलकर्ता से जब्त किए गए हथियार की न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला (एतस्मिनपश्चात्, 'एफएसएल') जांच की गई, जिसके नतीजे अनिर्णायक रहे, जिससे अपीलकर्ता के इस मामले को बल मिला कि उसे झूठा फंसाया गया था।
- अंत में, यह तर्क दिया गया कि मृतक तुलाराम का कथन, जो अन्वेषण अधिकारी गिरीश बोहरे (अ.सा.14) द्वारा धारा 161 दं.प्र.सं के तहत दर्ज किया गया था, तुलाराम की मानसिक स्थिति के सम्बन्ध में चिकित्सक के प्रमाण पत्र के आभाव में 'मृत्युपूर्व कथन' नहीं माना जा सकता।
- वैसे भी, अन्वेषण अधिकारी/पुलिस के समक्ष दिया गया मृत्युपूर्व कथन हमेशा संदिग्ध परिस्थितियों से घिरा होता है और उसका अवलम्ब नहीं लिया जा सकता।

18. इसके विपरीत, राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री मृणाल गोपाल एल्कर ने तर्क दिया कि आक्षेपित निर्णय दिनांक 19.12.2017 में इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रस्तुत किया:
- (a) निचले न्यायालयों ने स्पष्ट रूप से लल्लू विश्वकर्मा (अ.सा.11) के परिसाक्ष्य के आधार पर घटना स्थल पर अपीलकर्ता की उपस्थिति और घटना में उसकी संलिप्तता की पुष्टि की है। उन्होंने तर्क दिया कि विश्वकर्मा का प्रतिपरीक्षण अपीलकर्ता के सम्बन्ध में उनके कथन पर संदेह करने का कोई कारण नहीं देता है।
 - (b) अपीलकर्ता के विरुद्ध मृतक टिल्लू के पेट पर चाकू से वार करने का विशेष आरोप है, जिसका समर्थन डॉ. आर.एस. विजयवर्गीय (अ.सा.4) द्वारा किए गए मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट (एमएलसी) से होता है, जिन्होंने पेट पर चाकू के घाव के साथ अत्यधिक रक्तस्राव की पुष्टि की है।
 - (c) गिरफ्तार होने के पश्चात्, अपीलकर्ता ने स्वेच्छा से अन्वेषण अधिकारी को साक्षियों की उपस्थिति में छिपाये गए चाकू का स्थान बताया। ऐसी बरामदगी अपीलकर्ता के विरुद्ध एक दोषपूर्ण सामग्री के रूप में साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य है।
 - (d) अंत में, सुश्री एल्कर ने इस बात पर प्रकाश डाला कि निचले न्यायालयों ने दं.प्र.सं की धारा 161 के तहत अभिलिखित मृतक तुलाराम के कथन को 'मृत्यु पूर्व कथन' के रूप में माना है, जो अपीलकर्ता के विरुद्ध अभियोजन के मामले को बिना किसी संदेह के सम्पुष्ट करता है।

विक्षेपण :

19. पक्षकारों के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता/अधिवक्ता को विस्तार से सुनने तथा प्रत्यक्षदर्शियों के कथनों के साथ-साथ अभिलेख पर उपलब्ध अन्य प्रासंगिक सामग्री का अवलोकन करने के पश्चात्, हम पाते हैं कि वर्तमान अपील में निम्नलिखित तीन प्रश्न हमारे विचारार्थ आते हैं:
- A) क्या निचले न्यायालयों ने उन विरोधाभासों या विसंगतियों का विक्षेपण न कर गलती की है जिससे अभियोजन का मामला खारिज हो जायेगा?
 - B) क्या बरामद हथियार पर रक्त समूह वर्गीकरण की अनुपस्थिति या अनिर्णायक एफएसएल परिणाम अभियोजन पक्ष के मामले के लिए हानिकारक है?
 - C) क्या अन्वेषण अधिकारी द्वारा चिकित्सा अधिकारी से स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना तुलाराम के मृत्यु से पहले धारा 161 सीआरपीसी के तहत अभिलेखित किए गए कथन को 'मृत्युपूर्व कथन' के रूप में विचार करने को अमान्य करता है?

A. अभियोजन के मामले में विरोधाभास:

20. चूंकि अपीलकर्ता के विरुद्ध अभियोजन का मामला मुख्य रूप से उषा बाई (अ.सा.10), लल्लू विश्वकर्मा (अ.सा.11), डॉ. सी.एस. जैन (अ.सा.13), डॉ. नीलम श्रीवास्तव (अ.सा.15) और गिरीश बोहरे (अ.सा.14) के परिसाक्ष्य पर टिका है, इसलिए हम उनके परिसाक्ष्य को संक्षेप में नीचे प्रस्तुत करना उचित समझते हैं:

21. उषा बाई (अ.सा.10) ने शपथपूर्वक बताया कि 20.06.2004 को रात्रि करीब 9 बजे वह देवी सिंह उर्फ टिल्लू और तुलाराम द्वारा अपनी झुग्गी की दीवार के निर्माण की देखरेख कर रही थी। दो आरोपी अहमद और कनीजा बी वहां पहुंचे और उन्हें निर्माण रोकने का आदेश दिया। इसके पश्चात् अहमद ने तुलाराम के सिर पर लाठी से वार किया। इसके बाद अहमद के पुत्र असगर ने अन्य आरोपियों को हमला करने के लिए उकसाया और सभी आरोपीगण को वहां पहुंचने तथा टिल्लू, तुलाराम और लालाराम पर लाठी, रॉड और पाइप जैसे विभिन्न हथियारों से हमला करने के लिए उत्प्रेरित किया जब अ.सा.10 ने अहमद की लाठी पकड़कर हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, तो उसके साथ गाली-गलौज की गई और उसे एक तरफ हटने को कहा गया। इसके फलस्वरूप, वह पीछे हट गई। आरोपियों ने टिल्लू और तुलाराम को तब तक पीटा जब तक वे अशक्त नहीं हो गए। टिल्लू की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि तुलाराम की सांसें चल रही थीं। घटना के तुरंत बाद, टिल्लू, तुलाराम और लालाराम को कमला नगर थाने की पुलिस ने इलाज के लिए हमीदिया अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल ले जाते समय टिल्लू की मृत्यु हो गई। अ.सा.10 ने घटना का विवरण देते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.पी.7) दर्ज कराई।
22. लल्लू विश्वकर्मा (अ.सा.11) ने बताया कि घटना उषा बाई (अ.सा.10) की दीवार के पास हुई। रात्रि करीब 8 से 9:30 बजे अहमद लाठी लेकर उषा बाई की दीवार के निर्माण स्थल पर पहुंचा, जहां अ.सा.11 और टिल्लू साथ में खाना खा रहे थे। अहमद ने दीवार के निर्माण पर आपत्ति जताते हुए उनसे भिड़ गया। जवाब में, टिल्लू ने उनसे निर्माण कार्य जारी रखने की अपील की। इसके बाद सभी अन्य आरोपी वहां पहुंचे और टिल्लू तथा एक अन्य व्यक्ति पर हमला कर दिया, हालांकि अ.सा.11 विशिष्ट हमलावरों को पहचान नहीं सका। हमले के दौरान आरोपियों ने लाठी, चाकू, डंडे, रॉड और पाइप जैसे विभिन्न हथियारों का इस्तेमाल किया। टिल्लू भैरों बाबा के कमरे में घायल अवस्था में मिला, जबकि तुलाराम निर्माण स्थल पर घायल अवस्था में पड़ा था। अ.सा.11 ने घायलों को ऑटो में ले जाने की व्यवस्था की। उन्होंने बताया कि टिल्लू की आंते बाहर निकली हुई थीं, जिसे उन्होंने कपड़े में लपेटकर ऑटो में रख दिया। इसके अलावा, तुलाराम को कई चोटों के कारण आघातजन्य और रक्तस्रावी आघात लगा था। घायलों को फिर हमीदिया अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने बाद में अपीलकर्ता (प्र.पी.14) से चाकू और डंडे जब्त कर लिए और एक ज़ापन तैयार किया, जिस पर अ.सा.11 ने हस्ताक्षर किए।
23. दो प्रत्यक्षदर्शियों के अलावा, अभियोजन ने प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य को पुष्ट करने के लिए चिकित्सा विशेषज्ञों डॉ. सी.एस. जैन (अ.सा.13) और डॉ. नीलम श्रीवास्तव (अ.सा.15) को बुलाया, जिन्होंने क्रमशः टिल्लू और तुलाराम का शवपरीक्षण किया था।
24. डॉ.सी.एस.जैन, अ.सा.13, ने प्रतिवेदन दिया कि टिल्लू का शव 21.06.2004 को शवपरीक्षण के लिए लाया गया था, जिसमें पेट के सामने की तरफ चार चाकू के घाव, सिर पर एक फटा हुआ घाव और तीन खरोंचें पाई गईं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि चाकू के घाव किसी ठोस, धारधार और भेदने वाले हथियार से किए गए थे, जबकि सिर पर आयी चोटें किसी ठोस और

बोथरी वस्तु से आयी थीं। सिर और पेट पर आयी चोटें मिलकर मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त मानी गयीं।

25. डॉ. नीलम श्रीवास्तव, अ.सा.15, ने परिसाक्ष्य दिया कि तुलाराम का शव 24.06.2004 को शव परीक्षण के लिए लाया गया था, जिसमें कई रेडियल फ्रैक्चर, सबड्यूरल सबरेक्नॉइड रक्तस्राव और कई घाव पाए गए थे। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि तुलाराम की मृत्यु सिर की चोट और उससे जुड़ी जटिलताओं के कारण श्वसन विफलता के कारण हुई। चोट की गंभीरता सामान्य प्रकृति में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी, और इसे एक ठोस, बोथरे और भारी हथियार से की गई हत्या के रूप में निर्धारित किया गया था। प्रतिपरीक्षण के दौरान, उन्होंने स्पष्ट किया कि तुलाराम के शरीर पर चाकू या तलवार से कोई चोट नहीं आई थी।
26. अभियोजन ने विषयांकित घटना के अन्वेषण अधिकारी (अ.सा.14) गिरीश बोहरे का भी परीक्षण किया। उन्होंने परिसाक्ष्य दिया कि अन्वेषण कैसे किया गया, घटनास्थल का एक नक्शा (प्र.पी.2) तैयार किया गया और घटनास्थल से रक्त से सना फर्श का एक टुकड़ा भी जब्त किया गया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने टिल्लू के शव का पंचनामा (प्र.पी.32) तैयार किया। उन्होंने अपीलकर्ता को गिरफ्तार किया और साक्षियों की उपस्थिति में उससे पूछताछ की। पूछताछ के दौरान अपीलकर्ता ने हमले में इस्तेमाल चाकू को नेहरू नगर पुलिस लाइन के बैरक नंबर 2 में छिपाने की बात की संस्वीकृति दी। इसके बाद अ.सा.14 ने एक ज्ञापन तैयार किया, जिससे अपीलकर्ता की निशानदेही पर एक लोहे का चाकू बरामद हुआ। इसके बाद उन्होंने अपीलकर्ता और अन्य सह-आरोपियों को गिरफ्तार किया। अ.सा.14 ने तुलाराम के शव का पंचनामा (प्र.पी.34) भी तैयार किया।
27. इस स्तर पर यह उल्लेख करना उचित है कि अजहरुद्दीन (अ.सा.1), सुखराम (अ.सा.2) और रेशमबाई (अ.सा.3) को भी घटना के प्रत्यक्षदर्शी के रूप में लाया गया था। हालांकि, अभियोजन ने उन्हें प्रतिकूल माना, क्योंकि उनके अनुसार, उनकी उपस्थिति में कोई घटना नहीं हुई।
28. यहां यह उल्लेख करना उल्लेखनीय है कि अपीलकर्ता और अन्य सह-आरोपियों के विचारण के दौरान, आरोपियों में से एक, विजय सिंह फरार हो गया था। वर्ष 2005 में विचारण न्यायालय के निर्णय के पश्चात्, विजय सिंह को गिरफ्तार किया गया और उसका विचारण किया गया। विचारण न्यायालय ने वर्ष 2007 में दिए गए एक अन्य निर्णय के तहत, प्रत्यक्षदर्शी उषा बाई (अ.सा.10) के परिसाक्ष्य के आधार पर उसे दोषसिद्ध ठहराया, जोकि डॉ. सी.एस.जैन (अ.सा.13) और डॉ. नीलम श्रीवास्तव (अ.सा.15) की चिकित्सकीय राय के साथ-साथ अन्वेषण अधिकारी (अ.सा.14) गिरीश बोहरे के परिसाक्ष्य द्वारा विधिवत समर्थित था।
29. इस प्रस्तुत मामले में मुख्य साक्षियों के परिसाक्ष्य पर विस्तार से चर्चा करने के बाद, अब हम अपीलकर्ता की ओर से उजागर किए गए विरोधाभासों पर प्रकाश डाल सकते हैं।

A.1 भैरव शास्त्री की झुगगी

30. यह बात पुरजोर तरीके से उठायी गयी कि घटनास्थल के सम्बन्ध में साक्षियों के परिसाक्ष्य में एक अव्यक्त मतभेद है। जबकि उषा बाई, अ.सा.10 और लल्लू विश्वकर्मा, अ.सा.11 ने यह

बयान दिया कि मृतक टिल्लू भैरव शास्त्री की झुग्गी में घुसा था, जहाँ उसे घेर लिया गया और अपीलकर्ता ने चाकू से उसके पेट पर हमला किया, अन्वेषण अधिकारी (अ.सा.14) ने प्रतिपरीक्षण के दौरान सत्यतापूर्वक स्वीकार किया कि उसे घटना स्थल के पास भैरों बाबा नाम के किसी व्यक्ति के रहने की जानकारी नहीं थी। अन्वेषण अधिकारी ने आगे स्पष्ट किया कि घटना स्थल के आसपास भैरों बाबा से जुड़ा कोई घर या मंदिर नहीं था, यही कारण है कि उन्होंने घटनास्थल के नक्शे (प्र.पी.2) में इसका नाम नहीं लिखा।

31. हमने इस संबंध में साक्षियों के परिसाक्ष्य की गहन जांच की है। हमें अभियोजन पक्ष के सभी बयानों में भैरव शास्त्री का लगातार उल्लेख मिलता है, साथ ही भैरव शास्त्री को भैरों बाबा के नाम से भी जाना जाता है। लल्लू विश्वकर्मा, अ.सा.11, ने अपने परिसाक्ष्य में स्पष्ट रूप से कहा है कि मृतक टिल्लू को घटना के बाद भैरों बाबा के कमरे में पाया गया था। इसके अतिरिक्त, भैरों शास्त्री की झुग्गी की मौजूदगी मृतक तुलाराम के धारा 161 दं.प्र.सं के बयान में दर्ज है, जिसे अन्वेषण अधिकारी (अ.सा.14) गिरीश बोहरे ने अभिलेखित किया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि टिल्लू ने भैरव शास्त्री की झोपड़ी के अंदर शरण ली और स्वयं को उसमें बंद कर लिया। भैरों शास्त्री की झुग्गी का उल्लेख शिकायतकर्ता अ.सा.10 द्वारा दर्ज प्र.सू.रि.(प्र.पी.7) और धारा 161 दं.प्र.सं के तहत अभिलेखित उनके बयान (प्र.डी.1) में भी स्पष्ट है।
32. यह सत्य है कि गिरीश बोहरे (अ.सा.14) के कथन के अनुसार, उन्हें घटनास्थल के पास किसी भैरों बाबा के होने की जानकारी नहीं थी, अन्य साक्षियों द्वारा जिस स्थान को 'भैरों शास्त्री की झुग्गी' बताया गया है, वह स्थान उनके द्वारा तैयार किए गए मौका नक्शा (प्र.पी.2) में दर्शाया गया है। मौका नक्शा (प्र.पी.2) की साधारण जांच से एक चिह्नित संरचना का पता चलता है जिसे 'बी' से लेबल किया गया है, जिसे 'ईंटों वाले कमरे' के रूप में पहचाना गया जहां मृतक ने शरण ली थी। हालांकि उक्त संरचना को भैरव शास्त्री की झुग्गी या किसी अन्य नाम से नहीं दर्शाया गया है, परन्तु यह प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के इस कथन को पुष्ट करता है कि टिल्लू पर पड़ोस की झुग्गी में हमला किया गया था। इसके अलावा, बचाव पक्ष ने अन्वेषण अधिकारी (अ.सा.14) के प्रतिपरीक्षण के समय मौका नक्शा में किये गए चित्रण पर कोई विवाद नहीं किया है।
33. अन्वेषण अधिकारी की ओर से नज़री नक्शा पर किसी स्थान को चिह्नित करने में चूक मात्र से अभियोजन का मामला प्रभावित नहीं होता। यह सुस्थापित है कि नज़री नक्शा केवल घटना के स्थान को दर्शाता है, और इसमें कोई और विवरण नहीं दिया गया है।' इस तथ्य के अलोक में कि जिन व्यक्तियों ने वह देखा था जिसके सम्बन्ध में उन्होंने परिसाक्ष्य दिया है, उनके प्रत्यक्ष कथन को उचित महत्व दिया जाना चाहिए। उनके साक्ष्य को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि अन्वेषण अधिकारी मौका नक्शा पर कमरे को 'भैरव शास्त्री की झुग्गी' के रूप में वर्णित करना भूल गए।
34. यह ऐसा मामला है जिसमें प्रत्यक्षदर्शियों ने एक-दूसरे की पुष्टि की है; मृतक तुलाराम ने धारा 161 दं.प्र.सं के तहत अभिलेखित अपने कथन में उनके कथनों को पुष्ट किया है, और घटना के स्थान को मौका नक्शा (प्र.पी.2) पर 'ईंटों के कमरे' के रूप में दर्शाया गया है। इस

प्रकार, यह स्थापित हो जाता है कि एक और झुगगी थी जहाँ मृतक ने शरण ली थी और अंततः उस पर हमला किया गया था। इन परिस्थितियों को देखते हुए, तथाकथित विरोधाभास अपराध के मुख्य भाग (corpus delicti) पर आक्रमण करने में बुरी तरह विफल हो जाता है।

A.2 प्र.सू.रि. की विषय-वस्तु को शिकायतकर्ता को पढ़कर न सुनाये जाने का कानूनी प्रभाव

35. इसके बाद यह तर्क दिया गया कि शिकायतकर्ता उषा बाई (अ.सा.10) ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि प्र.सू.रि.(प्र.पी.7) उसे पढ़कर नहीं सुनाई गई थी और उसने पुलिस के निर्देश पर अपना अंगूठा लगाया था। प्रतिपरीक्षण के दौरान उसके कथन का अवलम्ब लिया गया है, जिसमें उसने दावा किया है कि उसने एक कोरे कागज पर अंगूठा लगाया था, जिसके बाद प्र.पी.7 तैयार किया गया था।
36. इस तर्क के मूल्यांकन के लिए हमने उषा बाई (अ.सा.10) के कथन के अनुवादित संस्करण को पढ़ा है, जिसे अपीलकर्ता ने मूल दस्तावेज पुस्तक के साथ-साथ "साक्षियों के गवाहियों के संकलन" के एक भाग के रूप में संलग्न किया है। चूँकि अनुवादित संस्करण गलत प्रतीत होता है, जिससे यह समझना मुश्किल हो जाता है कि साक्षी ने क्या कथन दिया है, इसलिए हमने उषा बाई (अ.सा.10) के कथन के मूल हिंदी संस्करण को भी पढ़ा है।
37. साक्षी के कथन की उसकी सम्पूर्णता में प्रशंसा की जानी चाहिए। इसे पुनः दोहराया जा सकता है कि उषा बाई (अ.सा.10) ने अपनी शिकायत में, जिसके कारण विषयांकित प्र.सू.रि दर्ज की गई थी, स्पष्ट रूप से कहा था कि, "विजय, धर्मेन्द्र उर्फ धम्मा, कच्चू उर्फ रामस्वरूप, बल्लू, रवि, असगर सभी चिल्लाते हुए आए कि टिल्लू दादागिरी कर रहा है और आज उसे खत्म कर दिया जाए..." प्र.सू.रि. में आगे कहा गया है कि, "ये सभी लोग" [इन सभी लोगों] ने हमला करना शुरू कर दिया, टिल्लू भैरव शास्त्री की झुगगी की ओर भागा, अंदर घुसा और स्वयं को बचाने के लिए अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। "सभी ने" (उन सभी ने) जबरदस्ती दरवाजा तोड़ दिया और झुगगी में घुस गए और टिल्लू को घेर लिया... और धर्मेन्द्र उर्फ धम्मा (अपीलकर्ता) ने टिल्लू के पेट में चाकू से वार किया।
38. यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि प्र.सू.रि. कोई ठोस सबूत नहीं है और इसका उपयोग केवल सूचनाकर्ता के कथन की पुष्टि या खंडन करने के लिए किया जा सकता है। यह भी आवश्यक नहीं है कि प्र.सू.रि. दर्ज करने के लिए हमेशा लिखित शिकायत ही हो। यहां तक कि पुलिस को संज्ञेय अपराध कारित होने के बारे में मौखिक रूप से सूचना देना भी प्र.सू.रि. दर्ज करने के लिए पर्याप्त है।
39. प्र.सू.रि. के तीन उद्देश्य हैं: पहला, क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट और पुलिस प्रशासन को उस अपराध के बारे में सूचित करना जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाने में की गई है; दूसरा, न्यायिक अधिकारी को, जिसके समक्ष अंत में विचारण किया जाता है, इस बात से परिचित कराना कि घटना के तुरंत बाद वास्तविक तथ्य क्या बताए गए थे और किन सामग्रियों के आधार पर अन्वेषण प्रारम्भ किया गया था; तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, अभियुक्त को बाद में होने वाले बदलावों, अतिशयोक्ति या परिवर्धन से बचाना।

40. विषयगत प्र.सू.रि. (प्र.पी.7) धारा 154 दं.प्र.सं के सभी अवयवों को पूरी तरह संतुष्ट करती है। घटना 20.06.2004 को रात्रि 9.30 बजे हुई बताई गई है, और प्र.सू.रि. उसी दिन रात्रि 10.45 बजे दर्ज की गई थी। घटना में कथित रूप से शामिल सभी आठ आरोपियों के नाम विधिवत अभिलेखित किए गए हैं। प्र.सू.रि. एक स्वाभाविक, सुसंगत हस्तलेखन प्रवाह में लिखी गई है, जिसमें कोई रिक्त स्थान नहीं छोड़ा गया है, शब्दों को ओवरराइट या छोटा नहीं किया गया है, या कोई शब्द या वाक्य जोड़ा नहीं गया है। प्र.सू.रि. की अंतिम पंक्ति में स्पष्ट रूप से दर्ज है कि रिपोर्ट सूचनाकर्ता को पढ़कर सुनाई और समझायी गयी थी। प्र.सू.रि. निर्धारित प्रारूप में है और उसके बाद उषा बाई (अ.सा.10) ने अपने अंगूठे का निशान लगाया है।
41. यह सत्य है कि अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान, उषा बाई (अ.सा.10) ने दावा किया है कि पुलिस ने न तो उन्हें प्र.सू.रि. (प्र.पी.7) पढ़कर सुनाई और न ही उनके कथनों की अंतर्वस्तु का उल्लेख किया, जो पुलिस ने 5-6 मौकों पर दर्ज किए थे। उन्होंने आगे कहा कि यह निर्धारित नहीं किया जा सका कि प्र.पी.7 में कौनसा संस्करण शामिल किया गया था क्योंकि वह साक्षर व्यक्ति नहीं हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता ने साक्षी को प्रभावित करने का प्रत्यक्ष प्रयास किया। हालाँकि, उषा बाई के अपीलकर्ता को कानून के प्रकोप से बचाने के अहानिकर आशय के बावजूद, वह इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकती कि प्र.सू.रि. उनकी शिकायत पर दर्ज की गई थी या उनके द्वारा सूचित की गई घटना में टिल्लू और तुलाराम को घातक चोटें आई थीं।
42. यह मानते हुए कि पुलिस सूचनाकर्ता को प्र.सू.रि. की अंतर्वस्तु को पढ़कर सुनाने या सूचित करने में विफल रही, विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या इस चूक से अपीलकर्ता पर कोई प्रतिकूलता कारित हुई है? हमारी विचारित राय में, इसका उत्तर नकारात्मक ही होना चाहिए। यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें अपीलकर्ता को प्र.सू.रि. या आरोप पत्र की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई, जिससे सूचनाकर्ता का प्रभावी रूप से प्रतिपरीक्षण करने में उसकी क्षमता बाधित हो सकती थी। अभिलेख से पता चलता है कि अधिवक्ता श्री ए.के. श्रीवास्तव ने अपीलार्थी की ओर से उषा बाई (अ.सा.10) का प्रतिपरीक्षण किया। उषा बाई ने अपीलार्थी का नाम अभियुक्त के रूप में न बताकर उसकी सहायता करने का प्रयास किया, लेकिन वह यह तथ्य नहीं छिपा सकी कि अहमद, असगर, रवि और कनीजा बी के अलावा वह अन्य आरोपियों को भी उनके नाम से जानती थी। अपीलार्थी स्वीकृत रूप से उन आरोपियों में से एक है। उसने आगे यह भी गवाही दी है कि सभी ने (उन सभी ने) टिल्लू पर लाठी, रॉड और पाइप से हमला किया। उसने आगे कहा कि जब उसने बीच-बचाव करने का प्रयास किया तो अहमद ने उसके साथ गाली-गलौज की और उसे जान से मारने की धमकी दी। फिर वह कुछ दूरी पर जाकर खड़ी हो गई और उसने देखा कि आरोपीगण अर्थात् उन सभी अभियुक्तों ने टिल्लू और तुलाराम पर जानलेवा हमला किया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने आगे यह भी परिसाक्ष्य दिया है कि वह लालाराम के साथ पुलिस स्टेशन कमला नगर गई, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने लालाराम और तुलाराम को तुरंत हमीदिया अस्पताल में उपचार के लिए भेजा। हालांकि, टिल्लू अस्पताल नहीं पहुंच सका क्योंकि रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई।

इसके अतिरिक्त, अपने कथन की कंडिका 4 में, उषा बाई (अ.सा.10) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने प्र.पी.7 के माध्यम से पुलिस स्टेशन कमला नगर को मामले की सूचना दी, जिस पर उनका अंगूठा लगा हुआ है। उषा बाई (अ.सा.10) का प्रतिपरीक्षण करते समय अपीलकर्ता द्वारा उसकी गवाही के इस भाग पर प्रश्न नहीं उठाया गया है। हमने धारा 313 दं.प्र.सं के तहत दर्ज अपीलकर्ता के स्वयं के कथन को भी देखा है। एक अस्पष्ट इनकार और झूठा फंसाये जाने के दावों के अलावा, ऐसा कोई सुझाव नहीं है कि वह घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था; कि उसने घटना में भाग नहीं लिया था, या कि उसे किसी भी कारण से झूठा फंसाया गया था। इस प्रकार, अपीलकर्ता प्र.सू.रि. की अंतर्वस्तु को सूचनाकर्ता को कथित रूप से पढ़कर न सुनाये जाने के परिणामस्वरूप उत्पन्न किसी भी पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करने में विफल रहा है। इस संबंध में उठाया गया तर्क पूरी तरह से भ्रान्त धारणा है।

43. जैसा भी हो, इस न्यायालय ने **राज्य बनाम एन.एस. ज्ञानेश्वरन²** में यह निर्धारित किया है कि धारा 154 दं.प्र.सं में सूचना अभिलेखित करने के पश्चात पढ़कर सुनाना और उक्त सूचना पर सूचनाकर्ता द्वारा हस्ताक्षर करने एवं उसके सार को विहित रीति से दर्ज करने की उल्लिखित शर्तें बाध्यकर नहीं हैं। ये आवश्यकताएं प्रक्रियात्मक प्रकृति की हैं और इनमें से किसी का भी लोप उक्त धारा के तहत प्रदान की गई जानकारी से उत्पन्न होने वाले कानूनी परिणामों को प्रभावित नहीं करती है।
44. यह भी समान रूप से सुस्थापित है कि जब प्रत्यक्षदर्शियों की परिसाक्ष्य सुसंगत, निर्विवाद और चिकित्सीय साक्ष्य या उपयोग किए गए हथियार जैसी अभियोगात्मक सामग्री की बरामदगी द्वारा विधिवत पुष्टि की जाती है, तो केवल प्र.सू.रि दर्ज करने में कोई कमी, यदि कोई हो, दोषसिद्धि को पलटने या अभियोजन के मामले को कमजोर करने का वैध आधार नहीं बनती है।

A.3 घटनास्थल पर अपीलकर्ता की उपस्थिति

45. अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यह झूठा फंसाये जाने का मामला है क्योंकि घटनास्थल पर अपीलकर्ता की उपस्थिति संदेह से परे प्रमाणित नहीं हुई है। उन्होंने उषा बाई (अ.सा.10) के बयान का अवलंब लिया, जिन्होंने अपने मुख्य परीक्षण के प्रारंभिक कथन में अहमद, असगर, रवि और कनीजा बी को आरोपी के रूप में नामित किया और दावा किया कि वह किसी और को नहीं जानती। इस बात पर प्रकाश डाला गया कि उषा बाई (अ.सा.10) न केवल अपने पूरे कथन में अपीलकर्ता का नाम लेने में विफल रही, बल्कि प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने हमलावरों के नाम कभी नहीं बताए, जैसा कि पुलिस ने प्र.सू.रि. (प्र.पी.7) में उल्लेख किया है।
46. हालाँकि, हम इस दलील से प्रभावित नहीं हैं। हम ऐसा निम्नलिखित कारणों से कहते हैं:
 - (a) उषा बाई (अ.सा.10) के कथन को टुकड़ों में नहीं बल्कि संपूर्णता में पढ़ा और समझा जाना चाहिए।
 - (b) जैसा कि पहले चर्चा की गई है, उसने कथन दिया कि वह शेष आरोपियों को नाम से जानती है। वह निर्विवाद रूप से शेष आरोपियों का उल्लेख कर रही थी जो न्यायालय में उपस्थित थे, जिसमें अपीलकर्ता भी शामिल था।

- (c) उसने गवाही दी कि "सभी आरोपियों" ने लालाराम, तुलाराम और देवी सिंह उर्फ टिल्लू पर डंडों, छड़ों और पाइपों से हमला किया।
- (d) उसने आगे कथन दिया कि सभी आरोपियों ने टिल्लू और तुलाराम पर उन्हें जान से मारने के आशय से हमला किया।
- (e) उसने यह भी स्वीकार किया कि वह पुलिस थाना कमला नगर गई और प्र.सू.रि. (प्र.पी.7) दर्ज कराई, जिस पर उसके अंगूठे का निशान था।
- (f) इन महत्वपूर्ण तथ्यों को स्वीकार करने के बाद, उषा बाई के कथन का विश्लेषण करके यह कहना अतिशयोक्ति होगी कि अपीलकर्ता घटना में उपस्थित नहीं था या उसमें भाग नहीं लिया था।
- (g) किसी भी स्थिति में, एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी लल्लू विश्वकर्मा (अ.सा.11) ने स्पष्ट रूप से कथन किया कि अपीलकर्ता मौजूद था और उसने टिल्लू के पेट पर चाकू से वार करके घटना में भाग लिया था।
- (h) चाकू से कारित चोट जिसके लिए अपीलकर्ता को जिम्मेदार ठहराया गया, को डॉ. आर.एस. विजयवर्गीय (अ.सा.4) और डॉ. सी.एस. जैन (अ.सा.13) द्वारा विधिवत रूप से स्थापित किया गया है।
- (i) अन्वेषण अधिकारी (अ.सा.14) ने अपीलकर्ता के प्रकटीकरण कथन के आधार पर अपराध के हथियार, अर्थात् चाकू की बरामदगी को सफलतापूर्वक स्थापित किया। लल्लू विश्वकर्मा (अ.सा.11), जो बरामदगी का साक्षी है, ने अन्वेषण अधिकारी की परिसाक्ष्य का समर्थन किया।
- (j) किसी भी संदेह को दूर करने के लिए, लल्लू विश्वकर्मा (अ.सा.11) ने न्यायालय में अपीलकर्ता की पहचान की और विशेष रूप से इंगित किया, "चेक शर्ट पहने हुए सामने खड़ा व्यक्ति धर्मद्र है"।

47. यह एक घिसा पिटा कानून है कि पहचान परीक्षण (टीआईपी) ठोस सबूत के रूप में कार्य नहीं करते हैं, परन्तु मुख्य रूप से अन्वेषण एजेंसी को यह सुनिश्चित करने में सहायता करने के लिए होते हैं कि अपराध की अन्वेषण में उनकी प्रगति सही मार्ग पर है। टीआईपी आयोजित करना अनिवार्य नहीं है। इसके अलावा, टीआईपी आयोजित न करना उन साक्षियों की परिसाक्ष्य को जानबूझकर त्यागने का आधार नहीं हो सकता है जिनके साक्ष्य को विचारण और अपीलनीय न्यायालयों ने एक साथ स्वीकार किया हो।³ इसके अतिरिक्त, परेड आयोजित न करने से न्यायालय में पहचान के साक्ष्य को अस्वीकार्य नहीं माना जाएगा।⁴

48. इसी तरह, घटनास्थल पर अंधेरे के कारण अस्पष्ट दृश्यता का तर्क भी मान्य नहीं है। रात्रि में होने वाली घटनाओं का विश्लेषण करते हुए, इस न्यायालय ने **नथुनी यादव बनाम बिहार राज्य**⁵ में कई कारकों को ध्यान में रखा है, जिनमें शामिल हैं:

- i. हमलावरों ने घायलों का कितनी निकटता से सामना किया होगा।
- ii. सितारों से घटनास्थल तक कुछ परिवेशी प्रकाश पहुँचने की संभावना।
- iii. प्रत्येक हमलावर के हुलिए से गवाहों की परिचितता।

49. प्रस्तुत मामले में, सबसे पहले, घटनास्थल, अर्थात् भारव शास्त्री की झुग्गी, शिकायतकर्ता (अ.सा.10) की झुग्गी से सटी हुई थी, जिससे साक्षियों के लिए आरोपियों को देखना और पहचानना आसान हो गया। दूसरे, प्रत्येक आरोपी, विशेष रूप से अपीलकर्ता, प्रत्यक्षदर्शियों से परिचित था। तीसरे, यह देखते हुए कि घटना गर्मियों की रात्रि में हुई थी, साक्षियों के लिए दृश्यता में न्यूनतम बाधा होगी। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपीलकर्ता ने अपने 313 दं.प्र.सं के कथन में कहीं भी अन्यत्र उपस्थित रहने की दलील नहीं दी है। उसने साक्षियों के प्रतिपरीक्षण के दौरान भी ऐसा बचाव लेने का प्रयास नहीं किया।
50. इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो कोई भी प्रत्यक्षदर्शी के कथन के विपरीत और उसके हनन में अन्यत्र उपस्थित रहने की दलील देता है, उस पर अपराध के समय और घटनास्थल से अनुपस्थित होने को साबित करने का भारी दायित्व है। अपीलकर्ता न केवल इस बचाव को उठाने में विफल रहा, बल्कि इसके समर्थन में कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया। इन सभी कारकों के संचयी प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, हमारे पास इस बात पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है कि अपीलकर्ता न केवल अपराध स्थल पर मौजूद था, बल्कि उसने घटना में सक्रिय रूप से भाग भी लिया और टिल्लू (मृतक) पर एक घातक वार भी किया।
51. हम इस तथ्य को अनदेखा नहीं कर सकते कि ऐसी स्थिति में जहाँ दो लोगों की तीखी नोकझोंक में हत्या कर दी जाती है, यह अत्यधिक असंभावित है कि प्रत्यक्षदर्शी चाहेंगे कि असली अपराधी न्याय से बच जाएँ। किसी भी पूर्व हेतुक के अभाव में, यह सत्याभासी नहीं है कि वे इस मामले में अपीलकर्ता पर झूठा आरोप लगाएँ। यह ऐसा परिदृश्य नहीं है जहाँ शिकायतकर्ता या अ.सा.11 ने अपीलकर्ता के विरुद्ध द्वेष रखा हो और घटना के बाद उसे फंसाने के लिए कोई कहानी गढ़ी हो। बल्कि, अपीलकर्ता का नाम घटना के दो घंटे से भी कम समय के भीतर, प्र.पी.7 के माध्यम से विधिवत अभिलेखित किए गए पहले संस्करण में सामने आया। प्रासंगिक रूप से, प्रत्यक्षदर्शियों के प्रतिपरीक्षण के दौरान अपीलकर्ता को झूठा फंसाने का कोई हेतुक नहीं सुझाया गया है।

A.4 अपीलकर्ता को चाकू की चोट के लिए जिम्मेदार ठहराना

52. अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि चूंकि घटना झुग्गी के अंदर और रात्रि में हुई थी, इसलिए यह अत्यंत ही असंभव है कि साक्षियों ने घटना किस तरीके से हुई, यह देखा हो। इसके अलावा, अ.सा.11 लल्लू विश्वकर्मा के कथन का अवलंब लिया गया, जिसने कहा कि वह नहीं देख सका कि किसने किस पर हमला किया और वह यह नहीं बता सका कि किसके पास से कौन सा हथियार जब्त किया गया। इस प्रकार यह प्राख्यान किया गया कि यह निष्कर्ष निकालने के लिए लेश मात्र भी साक्ष्य नहीं है कि चाकू से चोट अपीलकर्ता द्वारा पहुंचाई गई थी।
53. हमने दलील का गहन विश्लेषण किया है। इस न्यायालय के लिए अपीलकर्ता के प्रकटीकरण कथन (प्र.पी.14) का परीक्षण करना आवश्यक है, जिसके परिणामस्वरूप प्रश्नांकित हथियार (चाकू) की खोज हुई। कथन इस प्रकार है:

"दिनांक 20.04.2004 को मैंने अपने साथियों अहमद, असगर, रवि, विजय, कच्चू उर्फ रामस्वरूप, बल्लू व कनीजा बी के साथ मिलकर टिल्लू उर्फ देवी सिंह के साथ चाकू व डंडे से स्वेच्छापूर्वक मारपीट की थी, जिस चाकू से मैंने टिल्लू उर्फ देवीसिंह पर हमला किया था, उसे मैंने पुलिस लाइन नेहरू नगर की बैरक नं. 2 में छिपा रखा है। मेरे साथ चलो, मैं आपको सौंप दूंगा।"

54. अपीलकर्ता द्वारा दिए गए प्रकटीकरण कथन के आधार पर चाकू, अर्थात् अपराध का हथियार, की खोज और बाद में जब्ती की गई। इसके बाद, एक जब्ती ज्ञापन (प्र.पी.20) तैयार किया गया, जिसमें निम्नलिखित विवरण दिया गया:

"एक चाकू लोहे का बना है, जिस पर लकड़ी का हैंडल है, जिसकी कुल लंबाई करीब 14 ½ इंच, हैंडल की लंबाई करीब 4 ¾ इंच, ब्लेड की लंबाई करीब 10 इंच और ब्लेड की चौड़ाई करीब 1 ¼ इंच है, चाकू की नोक नुकीली है, ब्लेड के अगले हिस्से में खून लगा है, जो सूख चुका है। आरोपी धर्मेन्द्र उर्फ धम्मा द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर उसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया और मौके पर ही साक्ष्य के रूप में सीलबंद कर दिया।"

55. जिस प्रश्न का निर्धारण करने की आवश्यकता है वह यह है कि क्या उपर्युक्त प्रकटीकरण कथन साक्ष्य में स्वीकार्य है? भा. सा. अधि. की धारा 27 के अर्थ में प्रकटीकरण कथन की स्वीकार्यता के मुद्दे को इस न्यायालय द्वारा **पुलुकुरी कोट्टाया बनाम सम्राट**⁶ में व्यापक रूप से संबोधित किया गया था, जिसमें निम्नलिखित संक्षेप में मानदंड निर्धारित किए गए थे:

- i. तथ्य का पता चलना चाहिए।
- ii. तथ्य का पता किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति से प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप चलना चाहिए।
- iii. जानकारी देने वाला व्यक्ति पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में होना चाहिए।
- iv. जानकारी का केवल वह भाग ही साबित किया जा सकता है जो पता चले तथ्य से स्पष्टतः या पूर्णतः संबंधित हो।

56. अन्वेषण अधिकारी (अ.सा.14) के परिसाक्ष्य से पता चलता है कि अपीलकर्ता ने पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए स्वेच्छा से प्रकटीकरण कथन दिया था, जिसके अनुसार अपराध का हथियार (चाकू) बरामद किया गया था। क्या उक्त कथन स्वेच्छा से दिया गया था या प्रपीड़न से प्राप्त किया गया था, यह अनिवार्य रूप से तथ्य का प्रश्न है। इस संबंध में, लल्लू विश्वकर्मा (अ.सा.11) का परिसाक्ष्य महत्वपूर्ण है क्योंकि उसने प्रकटीकरण कथन को विधिवत देखा था। हमारी सुविचारित राय में, अपीलकर्ता का प्रकटीकरण कथन, जिसके कारण चाकू की बरामदगी हुई, भा. सा. अधि. की धारा 27 के मूल सिद्धांतों को पूरा करता है और इसे साक्ष्य में सही ढंग से स्वीकार किया गया है।

57. हम इस चरण में यह जोड़ना चाहेंगे कि अभियोजन के संस्करण को न केवल विचारण न्यायालय ने स्वीकार किया है, बल्कि उच्च न्यायालय ने भी अपील में इसकी पुष्टि की है। यह पता लगाने के लिए कि अपीलकर्ता युक्तियुक्त संदेह से परे दोषी है या नहीं, हमने अपने सीमित अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया है और प्रथम अपीलीय न्यायालय के समान भूमिका

निभाई है। हम इस तथ्य से अवगत हैं कि क्षेत्राधिकार संबंधी आवर्धन एक अपवाद होना चाहिए और अत्यधिक कठिनाई के मामले में, अपराध के पीड़ित(पीड़ितों), अभियुक्तों, साथ ही संवेदनशील साक्षियों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अत्यधिक सावधानी के साथ लागू किया जाना चाहिए। ऐसे मापदंडों को ध्यान में रखते हुए, इस बात को अनदेखा नहीं किया जा सकता कि दोनों प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, अ.सा.10 और अ.सा.11, निरक्षर मजदूर हैं, और उनके परिसाक्ष्य घटना के काफी समय बीत जाने के बाद अभिलेखित किये गए थे। दोनों साक्षियों ने इस बात से स्पष्ट रूप से इनकार किया है कि उन्हें पुलिस या किसी और ने सिखाया पढ़ाया था। एक ग्रामीण साक्षी की अनफ़िल्टर्ड साक्ष्य, भले ही उसमें कुछ छोटी-मोटी असंगतियां या विसंगतियाँ हों, उसकी दृढ़ता को कम नहीं कर सकती। ऐसे साक्षियों के साक्ष्य का व्यापक और सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाना चाहिए, विशेषकर जब प्रतिपरीक्षण से यह पता चलता है कि आरोपी (गण) ने कुछ बाहरी दबाव डालकर उन्हें जीतने का प्रयास किया था। इस प्रकार, हम संतुष्ट हैं कि अ.सा.10 और अ.सा.11 के कथनों में ऐसी कोई विसंगति नहीं है कि उन्हें खारिज कर दिया जाए। यहाँ तक कि अन्वेषण अधिकारी (अ.सा.14) की साक्ष्य में भी कोई गुप्त उद्देश्य या साक्ष्य गढ़ने या अपीलकर्ता और उसके सह-आरोपी को झूठा फंसाने का प्रयास नहीं है।

58. यह अपेक्षा करना अत्यधिक अक्रजु और अनुचित होगा कि साक्षी, जब तक कि उसे दुहराया न जाए, घटना के हर छोटे-छोटे विवरण को याद रखे और उसे पूरे विवरण के साथ प्रस्तुत करे। इस प्रकार अपीलकर्ता का तर्क किसी भी गुणागुण से रहित है।

B. अभियोजन के मामले पर रक्त समूह वर्गीकरण की अनुपस्थिति का प्रभाव

59. अपीलकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने दावा किया कि उसके पास से कथित रूप से बरामद चाकू का विधि विज्ञान प्रयोगशाला में परीक्षण किया गया, जहां परीक्षण के परिणाम अनिर्णायक थे, विशेष रूप से हथियार पर रक्त समूह के निर्धारण के संबंध में। परिणामस्वरूप, रक्त समूह विश्लेषण में निर्णायक मिलान की अनुपस्थिति को अपीलकर्ता के पक्ष में और अभियोजन पक्ष के विरुद्ध माना जाना चाहिए।
60. एफएसएल रिपोर्ट की गहन जांच करने पर, यह पुष्टि हुई कि बरामद चाकू पर किए गए रक्त समूह वर्गीकरण परीक्षण से अनिर्णायक परिणाम मिले। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अपीलकर्ता के कहने पर बरामद चाकू पर मानव रक्त पाया गया था (एफएसएल के समक्ष प्रदर्श "।")। यह तथ्य कुछ महत्व प्राप्त करता है, यह देखते हुए कि लाठी सहित विभिन्न हथियारों और यहां तक कि वह चाकू जिसके लिए आरोपी असगर को जिम्मेदार ठहराया गया था, का भी एफएसएल परीक्षण किया गया, तब भी उनपर मानव रक्त के कोई अवशेष नहीं पाए गए। उल्लेखनीय रूप से, मानव रक्त केवल अपीलकर्ता द्वारा उपयोग किए गए चाकू पर पाया गया था।
61. राजा @ राजिंदर बनाम हरियाणा राज्य⁷ और जॉन पांडियन बनाम राज्य⁸ में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित नज़ीरों के अनुरूप, अपराध के हथियार पर मानव रक्त का स्पष्टीकरण न देना अभियुक्त के विरुद्ध एक परिस्थिति का गठन करता है। अभियुक्त पर हथियार पर मानव रक्त की उपस्थिति के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रदान करना आवश्यक है। अपीलकर्ता ऐसा करने में

विफल रहा है। विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा दिए गए निर्णयों से यह भी पता नहीं चलता है कि अपीलकर्ता ने बरामद चाकू पर रक्त की उपस्थिति के बारे में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण दिया है। इसके ऊपर हालांकि यह अपराध का निर्धारण करने के लिए निर्णायक कारक नहीं हो सकता है, लेकिन एक स्पष्ट मौन अभियोजन पक्ष के मामले को समर्थन देता है।

C. धारा 161 दं.प्र.सं के तहत मृतक तुलाराम के बयान को मृत्यु पूर्व बयान के रूप में माना जाना

62. अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया है कि निचले न्यायालयों ने जांच अधिकारी गिरीश बोहरे (अ.सा.14) को दिए गए तुलाराम (प्र.पी.40) के बयान का अवलंब लेकर गलती की है और उक्त बयान को 'मृत्यु पूर्व बयान' नहीं माना जा सकता क्योंकि जांच अधिकारी ने तुलाराम की मानसिक स्थिति के बारे में चिकित्सक से कोई प्रमाण पत्र नहीं लिया।
63. इस संबंध में, धारा 161 दं.प्र.सं के तहत तुलाराम का बयान दर्ज करने वाले जांच अधिकारी गिरीश बोहरे (अ.सा.14) के परिसाक्ष्य का निम्नलिखित भाग महत्वपूर्ण हो जाता है:

"यह सही है कि मैंने तुलाराम का बयान दर्ज करने से पहले चिकित्सक से तुलाराम के बयान देने की स्थिति के बारे में अनुमति नहीं ली थी। यह सही है कि बयान दर्ज करते समय मुझे यह तथ्य पता था कि इस मामले में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। चूंकि चिकित्सा रिपोर्ट में सिर की चोट को गंभीर नहीं बताया गया था, इसलिए यह कहना गलत है कि मुझे यह तथ्य पता था कि तुलाराम के सिर पर लाठी का वार हुआ था और उसकी हालत गंभीर थी। यह सही है कि तुलाराम के जीवित रहने तक मैंने उनके मृत्युपूर्व कथन को दर्ज करने की कार्यवाही नहीं की। यह कहना गलत है कि तुलाराम चोट आने के पश्चात और अपनी मृत्यु तक बोलने में असमर्थ था, इसलिए मैंने उसका मृत्युपूर्व कथन दर्ज नहीं किया। यह कहना गलत है कि इस कारण से प्रदर्श पी.40 का कथन झूठा तैयार किया गया है।"

64. इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) को संक्षेप में प्रस्तुत करना समीचीन होगा, जिसके तहत कथन किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के बारे में या उस संव्यवहार की किसी परिस्थिति के बारे में किया गया है जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई, सुसंगत और स्वीकार्य है, इस तथ्य के निरपेक्ष चाहे उस व्यक्ति को, कथन देते समय मृत्यु की प्रत्याशङ्का नहीं थी।
65. धारा 161 दं.प्र.सं पुलिस को किसी भी ऐसे व्यक्ति से मौखिक रूप से पूछताछ करने का अधिकार देती है जो अन्वेषण के अंतर्गत प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित है। पुलिस ऐसे बयान को लिखित रूप में भी दर्ज कर सकती है। धारा 162 (1) दं.प्र.सं, तब भी, यह अनिवार्य करती है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारी को दिया गया कोई भी बयान, यदि लिखित रूप में दिया जाता है, तो उसे देने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाना चाहिए, न ही ऐसे बयान का साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जाएगा, सिवाय

इसके कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 द्वारा प्रदान की गयी रीति से साक्षी का खंडन किया जाए। हालाँकि, धारा 162 दं.प्र.सं की उप-धारा (2) उसकी उप-धारा (1) के लिए एक अपवाद बनाती है क्योंकि यह स्पष्ट रूप से प्रदान करती है कि धारा 162 में कुछ भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के खंड (1) के दायरे में आने वाले किसी भी बयान पर लागू नहीं माना जाएगा। दूसरे शब्दों में, किसी मृत व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारी को अपनी मृत्यु के कारण या उस संव्यवहार की परिस्थितियों के सम्बन्ध में दिया गया बयान, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई, और जिसे धारा 161 दं.प्र.सं के तहत दर्ज किया गया है, उसमें निहित साक्ष्य में ऐसे बयान के उपयोग पर स्पष्ट प्रतिबंध के बावजूद प्रासंगिक और स्वीकार्य होगा। ऐसी स्थिति में, धारा 161 दं.प्र.सं के तहत दर्ज किया गया बयान मृत्युपूर्व कथन का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। चूंकि इस तरह के मृत्युपूर्व कथन को असाधारण विश्वसनीयता दी गई है, इसलिए न्यायालय को उसका अवलंब लेने में अत्यंत सावधान और सतर्क रहना चाहिए। इस न्यायालय के कई निर्णय हैं जो दं.प्र.सं और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के बीच अंतर-क्रिया को समर्थन देते हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया है⁹।

66. मृत्युपूर्व कथन करने वाले व्यक्ति की मानसिक स्वस्थता के आकलन के संबंध में, यह निस्संदेह न्यायालय की जिम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि घोषणाकर्ता मानसिक रूप से स्वस्थ था। ऐसा इसलिए है क्योंकि मृत्युपूर्व कथन दर्ज करने के लिए कोई कठोर प्रक्रिया अनिवार्य नहीं है। यदि कोई प्रत्यक्षदर्शी यह दावा करता है कि मृतक होश में था और घोषणा करने में सक्षम था, तो चिकित्सा राय ऐसी पुष्टि को रद्द नहीं कर सकती है, न ही केवल चिकित्सक के स्वस्थता प्रमाणन के अभाव में मृत्युपूर्व कथन को अनदेखा किया जा सकता है। घोषणाकर्ता की मानसिक स्वस्थता के प्रमाणन के बाद चिकित्सक की उपस्थिति में मृत्युपूर्व कथन दर्ज करने की आवश्यकता केवल विवेक का मामला है¹⁰।

67. **लक्ष्मण बनाम महाराष्ट्र राज्य**¹¹ में संविधान पीठ ने अधिकारपूर्वक निर्णय दिया है कि:

“3. लेकिन जहां प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि मृतक घोषणा करने के लिए स्वस्थ और सचेत अवस्था में था, वहां चिकित्सा राय मान्य नहीं होगी, न ही यह कहा जा सकता है कि चूंकि घोषणाकर्ता की मानसिक स्वस्थता के बारे में चिकित्सक का कोई प्रमाणन नहीं है, इसलिए मृत्युपूर्व कथन स्वीकार्य नहीं है। मृत्युपूर्व कथन मौखिक या लिखित हो सकता है और संचार का कोई भी उचित तरीका, चाहे शब्दों द्वारा हो या संकेतों द्वारा या अन्यथा, पर्याप्त होगा बशर्ते संकेत सकारात्मक और निश्चित हो। हालांकि, ज्यादातर मामलों में, ऐसे बयान मृत्यु से पहले मौखिक रूप से दिए जाते हैं और मजिस्ट्रेट या चिकित्सक या पुलिस अधिकारी जैसे किसी व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में दिए जाते हैं। अनिवार्य रूप से यह आवश्यक है कि मृत्युपूर्व कथन दर्ज करने वाले व्यक्ति को यह संतुष्टि होनी चाहिए कि मृतक मानसिक रूप से स्वस्थ था। जहां मजिस्ट्रेट के परिसाक्ष्य से यह साबित हो जाता है कि घोषणाकर्ता चिकित्सक द्वारा जांच किए बिना भी बयान देने

योग्य था, तो घोषणा पर कार्रवाई की जा सकती है बशर्ते न्यायालय अंततः इसे स्वैच्छिक और सत्य मानती हो। चिकित्सक द्वारा प्रमाणीकरण अनिवार्य रूप से सावधानी का नियम है और इसलिए घोषणा की स्वैच्छिक और सत्य प्रकृति को अन्यथा स्थापित किया जा सकता है।"

68. इस मामले में यह मूल्यांकन महत्वपूर्ण है कि अन्वेषण अधिकारी ने घटना के एक दिन बाद ही तत्काल बयान दर्ज कर लिया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि चिकित्सा रिपोर्ट में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि घोषणाकर्ता तुलाराम की हालत गंभीर थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि तुलाराम अपना बयान सही ढंग से देने में सक्षम था। इसके अलावा, बयान के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि घोषणाकर्ता तुलाराम पूरी तरह स्वस्थ था, क्योंकि उसने न केवल घटना के बारे में सही ढंग से बताया बल्कि अपीलकर्ता की भूमिका को भी स्पष्ट रूप से बताया। इसके अलावा, अ.सा.13 और अ.सा.15 द्वारा किए गए शव परीक्षण के दौरान पाई गई चोटों ने मृतक तुलाराम के बयान की पुष्टि की है।
69. उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि केवल चिकित्सा स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त न होने से यह न्यायालय धारा 161 दं.प्र.सं के तहत उचित रूप से दर्ज किए गए बयान को मृत्युपूर्व बयान मानने से नहीं रुकेगा।

निष्कर्ष :

70. ऊपर बताए गए कारणों से, हम संतुष्ट हैं कि अभियोजन पक्ष के मामले में ऐसी कोई विरोधाभास या विसंगति नहीं है जो हमें विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण से अलग दृष्टिकोण अपनाने के लिए बाध्य करे। इसलिए, हम इस अपील में कोई गुणागुण नहीं पाते हैं, जिसे परिणामस्वरूप खारिज किया जाता है। यदि अपीलकर्ता जमानत पर है, तो उसके जमानत मुचलके रद्द किये जाते हैं, और उसे आत्मसमर्पण करने और सजा की शेष अवधि भुगतने का निर्देश दिया जाता है। हालाँकि, यदि अपीलकर्ता पहले से ही अभिरक्षा में है, तो उस स्थिति में, उसे सजा की शेष अवधि पूरी करनी होगी।
71. तदनुसार आदेश दिया गया।
- प्रकरण का परिणाम: अपील खारिज की जाती है ।

[†]शीर्ष टिप्पणियां तैयार की गयीं: निधि जैन द्वारा
विनीता यादव द्वारा अनुवाद किया गया

*** लेखक**

1. शिवन्ना बनाम हुन्सुर टाउन पुलिस राज्य (2010) 15 एससीसी 91
2. (2013) 3 एससीसी 594
3. राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) बनाम नवजोत संधू (2005) 11 एससीसी 600
4. हीरा बनाम राजस्थान राज्य (2007) 10 एससीसी 175
5. [1996] पूरक 10 एससीआर 905 : (1998) 9 एससीसी 238
6. 1946 एससीसी ऑनलाइन पीसी 47

7. [2015] 3 एससीआर 947 : (2015) 11 एससीसी 43
8. [2010] 15 एससीआर 1012 : (2010) 14 एससीसी 129
9. देखें: i) मुकेशभाई गोपालभाई बरोट बनाम गुजरात राज्य (2010) 12 एससीसी 224; (ii) श्री भगवान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2013) 12 एससीसी 137; (iii) प्रदीप बिसोई बनाम ओडिशा राज्य (2019) 11 एससीसी 500
10. कोलो चुन्नीलाल सावजी बनाम गुजरात राज्य (1999) 9 एससीसी 562
11. [2002] पूरक 1 एससीआर 697: (2002) 6 एससीसी 710